राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांकः—21.03.2023

आयोग द्वारा आयोजित **उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा—2021** की लिखित परीक्षा (Objective Type) के जारी किये गये परिणाम के अन्तर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अस्थाई रुप से सफल घोषित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कार्यालय महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित की गई।

उक्तानुसार आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुपस्थित रहे कतिपय अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 1162/2022 तथा 05 अन्य समकक्ष याचिकाओं में पारित समेकित अंतरिम आदेश दिनांक 25.01.2023 की पालना में 06 याची अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन कार्यालय महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 21.02.2023 को करवाया गया।

तदनुसार उक्त परीक्षा के पूर्व में जारी किये गये शारीरिक दक्षता परीक्षा उपरान्त परिणाम के क्रम में सम्बन्धित सेवा नियमानुसार निम्नलिखित रोल नम्बर के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु उनकी पात्रता की शर्त पर अस्थाई रूप से सफल घोषित किया जाता है—

रोल नम्बर

नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र

350062 757699

Total Candidates:- 02

साक्षात्कार हेतु अस्थाई रुप से सफल घोषित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in से विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर दो प्रतियों में भरकर मय समस्त आवश्यक शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के इस कार्यालय को दिनांक 05.04.**2023** तक व्यक्तिशः/डाक द्वारा प्रस्तुत करे।

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जायेगी तथा पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को यथा समय अवगत करवा दिया जाएगा।

नोटः—

1. साक्षात्कार हेतु अस्थाई रुप से सफल उक्त 02 अभ्यर्थियों का परिणाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर रिट याचिकाओं क्रमशः डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 1162/2022 तथा डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 1164/2022 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
2. परिणाम की शेष शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी।

(आशुतोष गुप्ता)
कार्यवाहक सचिव